संख्या– 1063 /XV-1/16/1(3)/08

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

विषयः निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने हेतु मान्यता प्राप्त गोसदनों को गोवंश के भरण–पोषण एवं देखरेख हेतु राजकीय सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके एवं सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1210/Ukd.AWB/राजकीय अनुदान/2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने हेतु शासनादेश संख्या–759/XV-1/1(3)/2008 दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत पात्र गोसदनों को गोवंश के भरण–पोषण एवं देखरेख हेतु अधिकतम ₹ 1.00 लाख प्रतिवर्ष की राजकीय सहायता दिये जाने से संबंधित शासनादेश संख्या–392/XV-1/7(81)/05 दिनांक 23 मार्च, 2011 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए पात्र गोसदनों को राजकीय अनुदान दिये जाने संबंधी दिशा–निर्देश विषयक शासनादेश संख्या–759/XV-1/1(3)/2008 दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 के बिन्दु सं०–8 में संशोधन करते हुए न्यूनतम 50 गोवंशीय पशुओं को शरण देने वाली मान्यता प्राप्त गोसदनों को आवर्तक व्यय हेतु गोवंश के भरण–पोषण एवं देख–रेख के लिए उनमें अवस्थित गोवंश की संख्या को ध्यान में रखते हुए सन्दर्भित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान के सापेक्ष समानुपातिक आधार पर अनुदान स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त दिशा–निर्देश पूर्ववर्ती शासनादेश दिनांक 16.12.2008 के अनुसार यथावत रहेंगे।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 80(P) /XXVII(4)/2016 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या– (1)/XV-1/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग, देहरादून।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
22.12.2016

(कै०आलोक शेखर तिवारी)